

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1897/2024

दिनांक 28.05.2024


श्री राजीव चौधरी-II (RJ00930), तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) हाल अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बालोतरा का निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 12.02.2024 से 13.02.2024 तक 02 दिनों का **उपार्जित अवकाश** दिनांक 10.02.2024 से 11.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 14.02.2024 से 17.02.2024 तक 04 दिनों का **परावर्तित अवकाश** दिनांक 18.02.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/100/2015/ 4213

दिनांक 28.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 3932 दिनांक 22.03.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजीव चौधरी-II (RJ00930), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बालोतरा।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।


28/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार